



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 103-अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2012

दिनांक: 30 नवम्बर, 2012

कार्यालय झाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अधिशासी अभियन्ताओं (विद्युत एवं यान्त्रिकी) को अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ संख्या-03 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर नियुक्त तथा स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान पर तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम अभि० सं०/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	प्रोन्नति, स्थानान्तरण के पश्चात् तैनाती का कार्यालय/स्थान
1	2	3	4
1	श्री यतीश वत्स 81135/अलीगढ़ 31.08.2017	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड-2, मुरादाबाद।	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत परीक्षण एवं परिचालन मण्डल, आगरा।
2	श्री अतुल निगम 81136/कानपुर 31.03.2017	अधिशासी अभियन्ता, सम्बद्ध अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मथुरा।	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मथुरा।
3	श्री अनिल कुमार 81137/अलीगढ़ 30.06.2018	अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध अधीक्षण अभियन्ता, अस्थाई कुम्भ मेला मण्डल, इलाहाबाद।	अधीक्षण अभियन्ता (कुम्भ मेला), नवसृजित अस्थाई मण्डल, इलाहाबाद।
4	श्री अजीत सिंह 81138 /मेरठ 30.09.2017	अधिशासी अभियन्ता, सम्बद्ध विद्युत वितरण मण्डल, भीमनगर (सम्भल)।	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, सम्भल।
5	श्री सुधीर कुमार वर्मा 81139/बस्ती 30.09.2017	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, जरीबचौकी, केस्को लिमिटेड, कानपुर।	अधीक्षण अभियन्ता, सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, केस्को लिमिटेड, कानपुर।

2- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

3- उपरोक्त स्थानान्तरित अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

4- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

5- उपरोक्त अधिकारियों को इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि निदेशक पद पर चयनित अधिकारियों की किसी कारणवश प्रत्यावर्तन/पदच्युत के फलस्वरूप उनके मूल संवर्ग में अपने ज्येष्ठताक्रम में स्थापित किया जायेगा तथा कनिष्ठतम प्रोन्नत अधिकारी पदावनत हो जाएगा।

6- उपरोक्त आदेश दिनांक 01-12-2012 को प्रभावी होंगे।


30/11/12

प्रबन्ध निदेशक

कमरा:.....2.....

संख्या: 103(1)अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष /प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक, के निजी सचिव उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल/मध्यान्चल/दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/केस्को लिमिटेड, कानपुर।
- 3- अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटर इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5- अनु सचिव (प्रशि0)/(गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 7- अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, कमरा नं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,


(अजय कुमार पुरवार)
उप सचिव